राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1673/2008/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स भरत भाई व योगेश बुलियन,
कोटवाला मार्केट नवाब साहब की हवेली,
त्रिपोलिया बाजार, जयपुर। ....प्रत्यर्थी.

खण्ड़पीठ
श्री जे.आर.लोहिया – सदस्य
श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.एस.राठौड़,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अभिषेक अजमेरा,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23/05/2014

निर्णय

1. यह अपील विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 405/अपील्स–II/आरएसटी/जयपुर/डी/2002–03 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.11.2007 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.08.2002 को जयपुर मुम्बई सुपर फास्ट ट्रेन में यात्री श्री हीरालाल पुत्र श्री नरसाजी पुरोहित निवासी ढोरो की ढाणी भीनमाल, जिला जालौर को थानाधिकारी रेलवे थाना सवाईमाधोपुर द्वारा चैक किया गया। उसके पास कुल 8 किलो 164.80 ग्राम सोना पाया गया परन्तु इस माल से संबंधित उसके पास कोई दस्तावेज नहीं पाये गये। जिसके कारण थानाधिकारी रेलवे थाना सवाईमाधोपुर द्वारा धारा 102 सीआरपीसी के तहत जब्त कर लिया तथा इस सम्बन्ध में सूचना वाणिज्यिक कर अधिकारी, मुख्यालय गंगापुर को दे दी गई। वाणिज्यिक कर अधिकारी, जिला सवाईमाधोपुर एवं करौली मुख्यालय गंगापुर सिटी (जिसे आगे **"सक्षम अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 78(2)(a) of RST Act का उल्लंघन मानकर धारा 78(5) के तहत अपने आदेश दिनांक 12.09.2002 के तहत माल कीमतन रूपये 41,44,000/– पर शास्ति रूपये 12,43,200/– आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अवैधानिक मानकर अपास्त कर दिया गया। उक्त अपीलीय आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अवैधानिक मानकर अपास्त करने में विधिक भूल की है। उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में आगे कथन किया कि अधिनियम की धारा 78(2)(a) का स्पष्ट उल्लंघन होने के उपरान्त भी शास्ति को अपास्त किया गया है जो पूर्णतया अनुचित है। यह कि मौके पर जब्त माल के दस्तावेज के अभाव में अधिनियम की धारा 78(2)(a) का उल्लंघन होने पर धारा 78(5) के तहत शास्ति विधिसम्मत है। प्रत्यर्थी द्वारा चोरी की मंशा से माल परिवहनित किया जा रहा था। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का यह मानना पूर्णतया अनुचित है कि शास्ति का आरोपण पुलिस विभाग द्वारा जब्त की गयी कार्यवाही के आधार पर किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा कोई निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की गई है। अधिनियम की धारा 78 के प्रावधानों के तहत वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा माल को जब्त किया जाना आवश्यक नहीं है। उप धारा 2(ए) के तहत परिवहनित माल से संबंधित वांछित विहित दस्तावेजों के अभाव में धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपणीय है। प्रत्यर्थी द्वारा बाद में माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना पश्चातवर्ती सोच होने के कारण स्वीकार नहीं किये जा सकते है। इसलिये सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर विधिविरूद्व आदेश पारित किया गया है। अतः इन आधारो पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर सक्षम अधिकारी के आदेश को बहाल करने पर बल दिया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत माल राज्य में कर चुका था जिसे जॉब वर्क के लिए मुम्बई परिवहनित किया जा रहा था। कर चुका माल के परिवहन पर किसी प्रकार के करापवंचन की आंशका नही रहती है। इस संबंध में माल के दस्तावेज प्रस्तुत किये जा चुके थे इसलिये अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति विधिसम्मत अपास्त की गई थी।

अग्रिम कथन यह भी किया कि पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा करारोपण की कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण विधिसम्मत नहीं पाई जा सकती। अपने तर्क के समर्थन में कर बोर्ड की अपील संख्या 353/2002/जयपुर मैसर्स असरार जैम्स जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी जयपुर निर्णय दिनांक 12.04.2004 तथा (2002) 1 आर.टी.आर. 424 मुकेश कुमार तातेड बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, के निर्णयों को उद्वरित किया है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 78(3) व (4) के तहत अधिकृत अधिकारियों द्वारा ही माल/वाहन को चैक किया जा सकता है जिसके आधार पर

लगातार.....3

शास्ति की कार्यवाही की जा सकती है। प्रस्तुत विवरण में विभाग द्वारा जांच नहीं की गई है न ही लीज द्वारा विभाग को माल की सुपुद्वर्गी दी गई है इसलिए सक्षम अधिकारी द्वारा क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर कर चुके माल पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। इसलिए अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने पर बल दिया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेल्वे पुलिस द्वारा जब्त किये गये सोने के 70 बिस्कुल के संबंध में केरियर के पास में मै0 सौरभ जैम्स एण्ड ज्वेलर्स जयपुर के योगेश बुलियन जयपुर एवं श्री भरत भाई के नाम सेल्स मीमों संख्या क्रमशः 769 व 770 दिनांक 24.8.2002 पाये गये थे जिनमें माल कर चुका होना अंकित है। माल के केरियर श्री हीरालाल पुत्र नरमा पुरोहित द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी गंगापुरसिटी सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत जवाब में श्री सौरभ जैम्स एण्ड ज्वेलर्स द्वारा माल रामप्रताप कट्टा ज्वैलर्स से बिल संख्या 1556 से क्रय करना बताया। उसी माल में से 70 टी.टी. बार्स को मुम्बई वास्ते ज्वैलरी निर्माण भिजवाया जा रहा था साथ ही मुम्बई पुलिस कमीश्नर को लिखे पत्रों की प्रतियां भी पाई गई थी। इस प्रकार प्रथमतः माल कर चुका होना पाया जाता है जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा जांच में मिथ्या प्रमाणित नहीं किया है।

इसके अलावा अधिनियम की धरा 78(3) के तहत माल व वाहन की चैकिंग के अधिकार विभागीय अधिकारी को प्रदत्त है वे बाद जांच दस्तावेज नहीं पाये जाने या मिथ्या पाये जाने पर माल को उप धारा (4) के तहत जब्त कर सकते है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार माल के विभाग में पुलिस कार्यवाही के आधार पर माल कार्यवाही की गई है जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अधिनियम की धारा 78(3)(4) को उद्धरित करना समीचीन होगाः—

78(3) Where any goods in movement within the territory of the State of Rajasthan, an officer empowered by the State Government in this behalf may stop the vehicle or the carrier of the person carrying such goods, for inspection, At any place within his jurisdiction and the provisouojns of sub-section (2) shall mutatis mutandis apply.

(4) Where any goods in movement, other than exempted goods, are without documents, or documents produced appear false or forged, the Incharge of the check-post or the officer empowered under sub-section (3), may-

(a) direct the driver or the person incharge of the vehicle or carrier or of the goods not to part with the goods in nay manner including by retransporting or rebooking, till a verification is done or an enquiry in made, which shall not take more than seven days;

लगातार.....4

(b) seize the goods for reasons to be recorded in writing and shall give a receipt of the goods to the person from whoes possession or control they are seized;

(c) release the goods seized in clause (b) to the owner of the goods or to any body else duly authorized by such owner, during the course fo the proceeding if the adequate security of the amount equal to the estiamted value of the goods is furnished.

प्रावधानानुसार वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकार प्रदत्त अधिकारी परिवहनरत माल व वाहन की जांच कर इस धारा के तहत कार्यवाही कर सकते है। प्रस्तुत प्रकरण में माल के ए.सी.जे.एम.(रेल्वे) कोटा के समक्ष मुकदम्मा लम्बित रहते धारा 78(5) के तहत शास्ति की समस्त की गई कार्यवाही को सक्षम अधिकारी के क्षैत्राधिकार से बाहर होने कारण विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

7. उक्त विवेचन के अनुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि के अभाव में उसकी पुष्टि की जाती है तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

23-5-14

(अमर सिंह)
सदस्य

(जे.आर.लोहिया)
सदस्य
23/5/14